(c) The CBI is presently looking into some of the complaints against the former Vice-Chairman and the former Member-Engineer of the DDA. The investigations are still in progress.

(d) Details in this regard are given in the attached statement.

Statement

A number of steps have been taken to guard against fraud and corruption in DDA. The Heads of Departments fix regular visiting hours to meet the public. The Vice-Chairman himself is freely available to the public. He also hears public grievances on Friday in the presence of Heads of Departments.

2. The procedures in the sensitive branches have been streamlined in order to cut out delays. Efforts have been made to ensure that the sensitive seats are not manned by officials of doubtful integrity and suspected antecedents. Surprise inspections are being made by the Vigilance branch in the office and at work sites of the Engineering and Horticulture Departments. A system of regular inspection of branches has been devised under which inspection of each sensitive public dealing branch is made by the Branch Officer in the first instance and subsequently by an officer of another branch. The existing procedures and practices are under critical review. The Tata Consultancy Services have been engaged to simplify and streamline the procedure and tone up the administration.

"कानून तोड़ने वालों के हजार हाथ" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

1577. श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1986 के 'नवभारत टाइम्स' में "कानून तोड़ने वालों के हजार हाथ" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त क्षेत्र में करीब 1400 बीघे सम्पूर्ण जमीन पर, जिसमें से 300 बीघे जमीन ग्राम समाज की थी और जो हरिजनों को आवंटित की जानी थी, मकान बना लिए गए है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1980 से भी पूर्व वहां रहने वाले लोगों को अभी तक कोई नागरिक सुविधायें नहीं दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को बिजली, पानी, सड़क, सीवर आदि की सुविधायें देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रहीं है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) ग्राम सभा की 301 बीघा भूमि सहित गांव चिल्ला सरोदा बांगर की 186 एकड़ भूमि 30-9-82 को घोषित अवार्ड संख्या 39/82-83 के अन्तर्गत अर्जित की गई थी। इस भूमि के एक भाग पर अत्यधिक निर्माण हुआ पड़ा है। वास्तविक रूप से रिक्त 174 एकड़ भूमि का कब्जा भू-अर्जन समाहर्ता द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को 1-10-82 को सौंप दिया गया था। इस भूमि पर पुनः अतिक्रमण किया गया है। इस भूमि पर पुनः अतिक्रमण करने वालों ने रोकादेश ले लिए थे जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। तथापि सिविल मुकदमेबाजी जारी है। क्योंकि ये मकान अनधिकृत रूप से बनाये गये हैं और यह मामल न्यायाधीन है, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में कोई जनसुविधायें मुहैया नहीं की हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण का सुनियोजित विकास के लिए अर्जित अपनी भूमि पर से अतिक्रमण को हटाने के लिये काननी दायित्व है।